**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–26, कानपुर नगर।**

**UPKN01-001679-2024**

**उपस्थित – प्रमोद कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

**सेशन केस संख्या–177/2024**

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

**बनाम**

उज्जवल पुत्र अजय कुमार उर्फ बेबो निवासी 96/5 चुन्नीगंज हाता, थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर ।

.....अभियुक्त

मु०अ०सं०–269/2015
धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
थाना–कर्नलगंज, जनपद–कानपुर नगर।

**निर्णय**

1. पुलिस थाना–कर्नलगंज जनपद–कानपुर नगर द्वारा अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो एंव उज्जवल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 269/2015 थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर में आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक कृष्ण लाल पटेल थानाध्यक्ष, थाना–कर्नलगंज, कानपुर नगर ने दिनांक 31.12.2015 को थाना–कर्नलगंज, में इस आशय की जुबानी सूचना दिया कि वह थाने से बहवाले रपट नम्बर 24 समय 13:10 बजे रवना होकर देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व पेन्डिग विवेचना अन्दर क्षेत्र से बाला–बाला जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आया, जहॉ से अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट गैगलीडर फूलचन्द्र कनौजिया पुत्र मोतीलाल कनौजिया, कर्नलगंज कानुपर नगर का प्राप्त हुआ। तत्पश्चात गैंगचार्ट की जॉच चुन्नीगंज जाकर की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त फूलचन्द्र कनौजिया का एक संगठित एवं सक्रिय गिरोह है, जिसके सदस्य अजय कुमार उर्फ बेबो पुत्र प्रकाश नारायण एवं उज्जवल पुत्र अजय कुमार उर्फ बेबो थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर है । गैंग लीडर फूलचन्द्र कनौजिया

जो अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने व हिंसा का प्रयोग कर जनता में भय एवं आतंक उत्पन्न करके लोक शान्ती भंग कर भा0दं0वि0 के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करते हैं। उपरोक्त गैंग द्वारा दिनांक 28.08.15 को रूपयों के लेन देन को लेकर राजेश उर्फ कल्लू दीक्षित पुत्र स्व0 हरिमोहन दीक्षित निवासी 96/4 चुन्नीगंज, हाता थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 206/15 धारा 302 भा0दं0सं0 थाना कर्नलगंज, में पजीकृत हुआ । अभियुक्त फूलचन्द्र कनौजिया द्वारा दिनांक 06.08.15 को अपने अन्य साथियों के साथ चुन्नीगंज चौराहा पर एक्सीडेन्ट में मृत बलजीत का शव सडक पर रखकर चारो तरफ से रोड अवरूद्व कर डी.सी.एम. को रोककर चालक के साथ मारपीट, गाली गलौज व धमकी देना तथा डी.सी.एम. की तोडफोड कर आग लगाने का प्रयास किया गया जिस पर अपराध संख्या 192/15 धारा 268, 283,341,427,323,504,506 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत हुआ था । अभियुक्तगण द्वारा जनता मे भय व आंतक करके लोक शान्ती कारित कर भा0दं0वि0 के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया । उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा गिरोह बनाकर हिंसा का प्रयोग कर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त किया गया है जो धारा 2 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 का अपराध कारित किया गया है। जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त उज्जवल का आपराधिक इतिहास निम्नबत है। मुकदमा अपराध संख्या–206/2015 धारा 302 भा0दं0सं0 थाना कर्नलगंज,कानपुर नगर पंजीकृत है। जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर, द्वारा दिनांक 30.12.15 को अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर अभियुक्तगणो के विरूद्व उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत बोल–बोलकर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. वादी मुकदमा कृष्ण लाल पटेल की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर मु० अ० सं०–269/2015 अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, प्रदर्श क–2, थाना–कर्नलगंज, जनपद–कानपुर नगर में अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो एवं उज्जवल के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा की गयी, जिसने दौरान विवेचना गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० लेखबद्ध किया तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो एवं उज्जवल के विरूद्ध

आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट प्रदर्श क–4 न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया।

4. अभियुक्तगण की उपस्थित सुनिश्चित की गयी । न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो एवं उज्जवल के विरूद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की माँग की।

5. दिनांक 08.02.2024 को दौरान विचारण अभियुक्त उज्जवल की पत्रावली शेष अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया एवं अजय कुमार उर्फ बेबो की पत्रावली से पृथक की गयी। अब मात्र अभियुक्त उज्जवल के अपराध का विचारण किया जा रहा है।

6. विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 का0 मनीष कुमार मौर्य एवं पी0डब्ल्यू0–2 का0 मनोज कुमारी का बयान दर्ज किया गया है ।

7. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 का0 मनीष कुमार मौर्या ने साक्ष्य दिया है कि वर्ष 2015 में मैं थाना कर्नलगंज, मे सी.सी.टी.एन.एस. के पद पर तैनात था । वर्ष 2015 में थाना कर्नलगंज, के तत्कालीन एस.ओ. कृष्ण लाल पटेल द्वारा अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो व उज्जवल के विरूद्व अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर दिनांक 31.12.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्व जुबानी सूचना के आधार पर अपराध संख्या 269/2015 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट का वाद सी.सी.टी.एन.एस पर सत्यप्रकाश द्वारा बोल–बोलकर पंजीकृत कराया गया था । प्रस्तुत प्रकरण मे विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था ।

8. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 मनोज कुमारी ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि मैं वर्तमान समय में थाना कर्नलगंज, में बतौर पैरोकार नियुक्त हूँ। वर्ष 2015 में थाना कर्नलगंज, कानपुर नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कृष्ण लाल पटेल द्वारा अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो व उज्जवल द्वारा किये गये अपराधो का संकलन कर गैंगचार्ट तैयार कर उसको विधि सम्मत तरीके से पुलिस के उच्चाधिकारियों से अग्रसारित कराकर अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, को प्रेषित किया गया था । गैगचार्ट अनुमोदन होने के उपरान्त दिनांक 31.12.15 को एस.ओ. महोदय द्वारा अनुमोदित चार्ट जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर से प्राप्त कर थाना हाजा पर उपस्थित आकर उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व अपनी जुबानी सूचना के आधार पर अपराध संख्या 269/15 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधि0 का वाद पंजीकृत कराया था । एफ.आई.आर. की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है । गैगचार्ट प्रदर्श क–1 व एफ.आई.आर. प्रदर्श क–2 के रूप मे साबित किया गया है । मुकदमा कायमी जी.डी.की प्रति प्रदर्श

क–3, आरोपपत्र प्रदर्श क–4 व अभियोजन अनुमति प्रदर्श क–5 के रूप मे साबित किये गये हैं ।

9. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त उज्जवल का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को सही बताते हुए गैगचार्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र व अभियोजन स्वीकृति को सही बताया है और अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किया तथा अभियुक्त ने कहा कि मै गरीब हूॅ। कम से कम सजा दी जाए। बचाव का अवसर दिये जाने पर कोई भी प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया, अतः प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

10. मैंने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण फूलचन्द्र कनौजिया, अजय कुमार उर्फ बेबो एवं उज्जवल का एक संगठित गिरोह है। यह गिरोह अपने एवं अपने गैंग के सदस्य के आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 के अधीन वर्णित अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है एवं इससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त उज्जवल ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः उनकी अभिरक्षाधीन अवधि एवं निर्धनता को दृष्टिगत रखते हुए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

13. अभियुक्त द्वारा मामले में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है जिसकी पुष्टि साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 का0 मनीष कुमार मौर्या एवं पी0डब्ल्यू0–2 का0 मनोज कुमारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्त उज्जवल द्वारा की गई जुर्म स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम सभी युक्ति–युक्त शंकाओं से परे सिद्ध होता है। अतः अभियुक्त उज्जवल उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

## <u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–269/2015, थाना–कर्नलगंज,जनपद–कानपुर नगर, के प्रकरण में अभियुक्त उज्जवल को उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 3(1)

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त उज्जवल  न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, कानपुर नगर से न्यायालय में उपस्थित हैं।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच (Lunch Break) के बाद  पुनः पेश हो।

दिनांक–21.02.2024

(प्रमोद कुमार-IV)
विशेष न्यायाधीश, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–26, कानपुर नगर।

**<u>दिनांक–21.02.2024 लन्च बाद–</u>**

पत्रावली लंच (Lunch Break) के बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। सिद्वदोष उज्जवल न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

दण्ड के प्रश्न पर सिद्वदोष के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

सिद्वदोष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त अत्यन्त निर्धन हैं, वह मेहनत व मजदूरी करके अपना जीवन–यापन करता रहा हैं। सिद्वदोष ने अपना जुर्म स्वयं स्वीकार किया है, अतः उनकी अभिरक्षाधीन अवधि एवं निर्धनता को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाकर उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

जब कि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि सिद्वदोष द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए सिद्वदोष को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **एलिस्टर एन्थोनी परेरा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्रा (2012) 2 एस.सी.सी. 648** में दण्ड के मामले मे यह सिद्धान्त प्रति पादित किया है कि आपराधिक मामले में दण्डादेश पारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपराधिक विधि का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि सिद्धदोष को उपयुक्त, पर्याप्त, न्यायोचित व सदृश दण्ड दिया जाय जो अपराध की प्रकृति, उसकी गम्भीरता और उसे कारित करने के तरीके के अनुरूप हो।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर की आख्यानुसार अभियुक्तगण प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 06.01.2016 से जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध है ।

प्रश्नगत मामले में सिद्वदोष पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अपराध में दोष सिद्व हुआ है । सिद्वदोष गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है और उसके द्वारा स्वतः जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस मत का हूँ कि सिद्वदोष को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

**<u>दण्डादेश</u>**

सेशन केस संख्या–177/2024, मुकदमा अपराध संख्या–269/2015, थाना–कर्नलगंज, जनपद–कानपुर नगर के प्रकरण में सिद्वदोष उज्जवल को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत 6(छः) वर्ष के कारावास से तथा मु०–5,000/–(पाँच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर 1(एक) माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मुकदमे में सिद्वदोष द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

सिद्वदोष उज्जवल का सजायावी अधिपत्र बनाकर उसे जिला कारागार प्रेषित किया जाय।

दिनांक–21.02.2024

(प्रमोद कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–26, कानपुर नगर।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–21.02.2024

(प्रमोद कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं
समाज–विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–26, कानपुर नगर

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.21 14:46:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court